

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सोनू उर्फ वारिस अली पुत्र स्व0 अब्दुल लतीफ मोहल्ला महाराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—515/21, 02. सोनू पुत्र गंगाराम नि0 राधेपुरवा गिर्द थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—516/21, 03. भवानी प्रसाद पुत्र सन्त प्रसाद नि0 दुल्लापुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—517/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. लक्ष्मण सिंह पुत्र रामचन्दर सिंह नि0 मेवापुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—226/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. उपेन्द्र कुमार पुत्र शिवप्रसाद नि0 नकार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—258/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सुभाष यादव पुत्र बृजलाल यादव नि0 ग्राम मरवटिया बक्सर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—191/21, 02. श्रीमती उत्तरहा पत्नी स्व0 सन्तूल नि0 पचपुति जगतापुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—192/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 09.07.2021**

**शातिर लुटेरे गैंगेस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत गैंगेस्टर एक्ट वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0सं0-103/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 शातिर लुटेरो-01. मो0 इस्तियाख खॉ, 02. अरबान को गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक लाभ के लिये लूट जैसे अपराधो को कारित करते है। इनके विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. मो0 इस्तियाख खॉ पुत्र दिलबहार खॉ नि0 ग्राम सेमगढ़ा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।
02. अरबान पुत्र मुकीम खॉ नि0 ग्राम सेमगढ़ा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-103/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक संजय कुमार दुबे मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 09.07.2021**

**अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सुशील कुमार पाण्डेय को बहद ग्राम नंदौर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. सुशील कुमार पाण्डेय पुत्र नरेन्द्र कुमार पाण्डेय नि० पसका गुल्ले पाण्डेय पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:—**

01. मु०अ०सं०—154/21, धारा—3/25 आर्म्स थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी:—**

01. 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता टीम:—**

उ०नि० रणजीत यादव मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल**  
**जनपद गोण्डा दिनांक 09.07.2021**

**थाना छपिया ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त नासिर कसाई को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. नासिर कसाई पुत्र अजीज कसाई नि० मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-197/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० मदनलाल गौतम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल**  
**जनपद गोण्डा दिनांक 09.07.2021**

**थाना खरगूपुर ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सुफियान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. सुफियान पुत्र कोयले नि0 बिसनापुर बेलभरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-182/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता—**

हेड का0 वागीश दुबे।